मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
(राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन)

क्र. /22/वि–9/आरजीएम/2000 भोपाल दिनांक

:: परिपत्र क्रमांक – 1 ::

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर एवं मिशन लीडर**,
   राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबधंन मिशन
   मध्यप्रदेश।
2. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी**,
   जिला पंचायत,
   मध्यप्रदेश।

विषयः राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यों एवं प्रयोजनों हेतु धनराशि के विमुक्तिकरण की प्रक्रिया।

1. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ''राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के संबंध में विभिन्न योजना अंतर्गत दिशा – निर्देश'' के अनुक्रम में जारी आदेश क्रमांक – 2 (जावक क्रमांक 13908/22/आरजीएम/एस.जे./वि.8/95, भोपाल, दिनांक 25.07.95) के पैरा क्रमांक 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 तथा 3.1.5 में मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यों एवं प्रयोजनों हेतु धनराशि के विमुक्तिकरण के संदर्भ में निर्देश दिये गये थे। इन निर्देशों का समावेश कर आवश्यक संशोधन शामिल करते हुए राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यों एवं प्रयोजनों हेतु धनराशि के विमुक्तिकरण की प्रक्रिया के निर्धारण के लिए यह परिपत्र जारी किया जा रहा है। इस परिपत्र को जिला पंचायत, जनपद पंचायत के कार्योलय में व्यापक रूप से प्रसारित करें तथा इसकी एक प्रति समस्त मिली जलग्रहण क्षेत्रों के परियोजना अधिकारियों और ग्राम स्तरीय जलग्रहण क्षेत्र समितियों के अध्यक्षों व सचिवों को उपलब्ध करावें। कृपया इस परिपत्र का तत्काल प्रभाव से पालन कराना सुनिश्चित करें।
2. राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन की जनसहभागिता आधारित कार्य प्रणाली में ग्रामीणों को विभिन्न गतिविधियों/कार्यों की कार्य योजना, क्रियान्वयन तथा रख रखाव का दायित्व सौंपा गया है। मिशन कार्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन हेतु ग्रामीणों को सहयोग देने के लिये जिला स्तर पर जिला पंचायत एवं जलग्रहण क्षेत्र स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन

दल शासन की प्रमुख सहयोगी टीम है। चयनित जलग्रहण क्षेत्रों में माइक्रोवाटरशेड स्तर पर ग्रामीणों की वाटरशेड कमेटी कार्यकारी समिति के रूप में कार्य करती है।

3. राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जन सहभागिता से जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन गतिविधियों/कार्यों की आयोजना व क्रियान्वयन हेतु परियोजना राशि रू. 4000/– प्रति हेक्टेयर के मान से कुल स्वीकृत क्षेत्रफल हेतु चार वर्ष की परियोजना अवधि के लिये स्वीकृत की जाती है। परियोजना राशि का जिला पंचायत, परियोजना क्रियान्वयन दल व वाटरशेड कमेटी स्तर पर वर्षवार तथा मदवार विभाजन अनुलग्नक – 1 पर दिया गया है।

4. जिला पंचायत को संपूर्ण जिले में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यों के प्रशासकीय नियोजन, परियोजा क्रियान्वयन दलों को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का कार्य सौंपा गया है। इन कार्यों हेतु जिला पंचायत, स्वीकृत कार्य योजनाओं के क्षेत्रफल के अनुक्रम में कुल स्वीकृत परियोजना राशि के 0.2 प्रतिशत का उपयोग कर सकेगी। इस निर्धारित मानदण्ड के अनुसार जिला पंचायत स्तर पर जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले निर्दिष्ट कार्यों/प्रयोजनों के लिये आवश्यक धनराशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के अनुमोदन एवं स्वीकृति उपरांत प्रशासनिक मद में विमुक्त की जा सकेगी।

5. परियोजना क्रियान्वयन दल जलग्रहण क्षेत्र स्तर पर ग्रामीणों को सहयोग देने के लिये प्रमुख समन्वयक दल के रूप में कार्य करते हैं। अतः परियोजना क्रियान्वयन दल को परियोजना अवधि के दोरान चयनित जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले ग्रामों में कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार, वातावरण निर्माण, ग्रामीणों के प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, कार्ययोजना व इसके क्रियान्वयन में ग्रामीणों को सहयोग एवं मार्गदर्शन देने और संपादित कार्यों के निरीक्षण, मूल्यांकन एवं प्रगति तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। इन कार्यों के संपादन हेतु जिला पंचायत कुल स्वीकृत परियोजना राशि का 20 प्रतिशत अंश परियोजना क्रियान्वयन दल को प्रशासनिक मद, सामुदायिक संगठन मद, प्रशिक्षण मद तथा आस्थामूलक कार्य मद में निम्न मानदण्डों व प्रक्रिया अनुसार विमुक्त करेगी :–

5.1.1 प्रशासनिक मद में परियोजना क्रियान्वयन दल को विभिन्न कार्यों एवं प्रयोजना जैसे कार्यालयीन सामग्री एवं स्टेशनरी का क्रय, प्रक्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण, मूल्यांकन तथा प्रगति प्रतिवेदन तैयार करने हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी। इस हेतु परियोजना क्रियान्वयन दल को कुल स्वीकृत परियोजना राशि का पांच प्रतिशत अंश ''प्रशासनिक मद'' में विमुक्त किया जा सकेगा।

5.1.2 सामुदायिक संगठन मद में परियोजना क्रियान्वयन दल को विभिन्न कार्यों एवं प्रयोजनों जैसे, कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार/वातावरण निर्माण, ग्रामीणों को सफलतम जलग्रहण क्षेत्र का भ्रमण, ग्रामीण सहभागी समीक्षा द्वारा संसाधनों व उनकी समस्या का आंकलन, दलों का गठन तथा स्वावलंबन दलों हेतु आयमूलक गतिविधियों हेतु कर्ज देने के लिये धनराशि की आवश्यकता होगी। इस परियोजना क्रियान्वयन दल को कुल स्वीकृत परियोजना राशि का पांच प्रतिशत अंश ''सामुदायिक संगठन मद'' में विमुक्त किया जा सकेगा।

5.1.3 प्रशिक्षण मद में परियोजना क्रियान्वयन दल को विभिन्न उपयोगकर्ता दलों व स्वावलंबन दलों के सदस्यों का विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण तथा वाटरशेड कमेटी के सदस्यों, अध्यक्षों व सचिवों के प्रशिक्षण हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी। इस

हेतु परियोजना क्रियान्वयन दल को कुल स्वीकृत परियोजना राशि का पांच प्रतिशत अंश ''प्रशिक्षण मद'' में विमुक्त किया जा सकेगा।

5.1.4 आस्थामूलक कार्य मद में परियोजना क्रियान्वयन दल द्वारा परियोजना के प्रथम वर्ष में ही कार्यक्रम के प्रति ग्रामीणों की आस्था जागृत करने के लिये ग्रामीणों की प्राथमिकता के अनुसार आस्थामूलक कार्य संपादित किये जाते हैं। इस हेतु परियोजना क्रियान्वयन दल को कुल परियोजना राशि का पांच प्रतिशत अंश ''आस्थामूलक कार्य मद'' में विमुक्त किया जा सकेगा।

5.1.5 जिला पंचायत द्वारा परियोजना क्रियान्वयन दल को उपरोक्तानुसार विभिन्न मों में धनराशि विमुक्त करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम परियोजना क्रियान्वयन दल के परियोजना अधिकारी अनुलग्नक – 2 में दर्शाये निर्धारित प्रारूप में मांगपत्र तैयार करेंगे। इस मांग पत्र में आवश्यक विवरण अंकित कर परियोजना क्रियान्वयन दल के परियोजना अधिकारी प्रारूप मांग पत्र में उल्लेखित अनुसार प्रमाण पत्र अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। परियोजना क्रियान्वयन दल के परियोजना अधिकारी द्वारा प्रमाणित यह मांग पत्र जिला पंचायत को परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। आस्थामूलक कार्यों के लिये धनराशि हेतु प्रस्तावित कार्य की ड्राइंग, डिजाईन व प्राक्कलन भी मांग पत्र के साथ संलग्न करना होगी। जिला पंचायत यह मांग पत्र प्राप्त होने पर इसमें दर्शाये गये कार्यों व प्रयोजनों हेतु पूर्व में जारी की गई राशि तथा संबंधित मद में निर्धारित मानदण्डों की सीमा को ध्यान में रखकर शेष राशि के अनुक्रम में उपयुक्त राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के अनुमोदन व स्वीकृति उपरांत परियोजना क्रियान्वयन दल के परियोजना अधिकारी को चैक द्वारा विमुक्त करेगी। परियोजना अधिकारी के मांग पत्र पर प्रमाणिकरण के बिना किसी भी परियोजना क्रियान्वयन दल को कोई धनराशि विमुक्त नहीं की जावेगी। चैक प्राप्त होने पर परियोजना क्रियान्वयन दल के परियोजना अधिकारी इसे परियोजना खाते में जमा कर कैश बुक तथा परियोजना खाता रजिस्टर में यथा स्थान आवश्यक विवरण अंकित करेंगे।

6. राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत वाटरशेड कमेटी को जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन गतिविधियों की आयोजना तथा क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। इस हेतु जिला पंचायत कुल स्वीकृत परियोजना राशि का 79.8 प्रतिशत अंश वाटरशेड कमेटी को प्रशासनिक मद तथा कार्य मद में निम्न मानदण्डों व प्रक्रिया अनुसार विमुक्त करेगी :–

6.1.1 प्रशासनिक मद में वाटरशेड कमेटी को विभिन्न कार्यों एवं प्रयोजनों जैसे, कार्यालयीन सामग्री एवं स्टेशनरी का क्रय, कमेटी की बैठकें, कमेटी के अध्यक्ष एवं सचिव का मानदेय व यात्रा भत्ता हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी। इस हेतु वाटरशेड कमेटी को कुल स्वीकृत परियोजना राशि का 4.8 प्रतिशत अंश ''प्रशासनिक मद'' में विमुक्त किया जा सकेगा।

6.1.2 जिला पंचायत द्वारा वाटरशेड कमेटी को प्रशासनिक मद में धनराशि विमुक्त करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम वाटरशेड कमेटी अनुलग्नक – 3 में दर्शाये निर्धारित प्रपरूप में मांगपत्र तैयार करेगी। इस मांगपत्र में आवश्यक विवरण अंकित कर वाटरशेड कमेटी के अध्यक्ष व सचिव मांगी जा रही राशि की अनुशंसा के लिए हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड प्रारूप मांग पत्र में उल्लेखित अनुसार प्रमाण पत्र अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। वाटरशेड कमेटी के अध्यक्ष व सचिव द्वारा अनुशंसित तथा परियोजना क्रियान्वयन दल के

परियोजना अधिकारी द्वारा प्रमाणित यह मांग पत्र जिला पंचायत को परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड द्वारा प्रसतुत किया जावेगा। जिला पंचायत यह मांग पत्र प्राप्त होने पर दर्शाये गये विभिन्न कार्यों व प्रयोजनों हेतु पूर्व में जारी की गई राशि तथा प्रशासनिक मद में निर्धारित मानदण्डों की सीमा को ध्यान में रखकर शेष राशि के अनुक्रम में उपयुक्त राशि वाटरशेड कमेटी को चैक द्वारा विमुक्त करेगी। मांग पत्र पर परियोजना अधिकारी के प्रमाणीकरण के बिना किसी भी वाटरशेड कमेटी को किसी भी स्थिति में कोई धनराशि विमुक्त नहीं की जावेगी। चैक प्राप्त होने पर वाटरशेड कमेटी इसे परियोजना खाते में जमा करवायेगी तथा कैश बुक व परियोजना खाता रजिस्टर में यथा स्थान इसका विवरण अंकित करेगी।

6.2.1 कार्य मद में वाटरशेड कमेटी को सम्बंधित माइक्रोवाटरशेड में विभिन्न जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन गतिविधियों/कार्यों जैसे, मिट्टी का कटाव रोकने, जल संग्रहण एवं संवर्धन, वृक्षारोपण, उद्यानिकी विकास, चारागाह विकास आदि के क्रियान्वयन के लिये धनराशि की आवश्यकता होगी। इस हेतु वाटरशेड कमेटी को कुल स्वीकृत परियोजना राशि का 75 प्रतिशत अंश ''कार्य मद'' में विमुक्त किया जा सकेगा।

6.2.2 जिला पंचायत द्वारा वाटरशेड कमेटी को संबंधित माइक्रोवाटरशेड के ग्रामीणों के गठित किये गये उपयोगकर्ता दलों की ऐसी चयनित गतिविधियों/कार्यों के लिये ''कार्य मद'' में धनराशि विमुक्त की जावेगी, जो जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत कार्य योजना में शामिल हैं तथा जिनके लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जिला पंचायत द्वारा वाटरशेड कमेटी को कार्य मद में धनराशि विमुक्त करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम वाटरशेड कमेटी अनुलग्नक – 4 में दर्शाये निर्धारित प्रारूप में मांग पत्र तैयार करेगी। इस मांगपत्र में आवश्यक विवरण अंकित कर वाटरशेड कमेटी के अध्यक्ष व सविच मांगी जा रही राशि की अनुशंसा के लिए हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड प्रारूप मांग पत्र में उल्लेखित अनुसार प्रमाण पत्र अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे। वाअरशेड कमेटी के अध्यक्ष व सचिव द्वारा अनुशंसित तथा परियोजना क्रियान्वयन दल के परियोजना अधिकारी द्वारा प्रमाणित यह मांग पत्र जिला पंचायत को परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। जिला पंचायत यह मांग पत्र प्राप्त होने पर सम्बंधित माइक्रोवाटरशेड की स्वीकृत कार्य योजना से मांग पत्र में दर्शाई गई गतिविधियों/कार्यों की संख्या, क्षेत्रफल/मात्रा व लागत का मिलान कर और इन गतिविधियों/कार्यों हेतु पूर्व में जारी की गई राशि व इसके विरूद्ध व्यय तथा शेष राशि का आंकलन कर कार्य मद हेतु निर्धारित मानदण्ड की सीमा के अनुरूप उपयुक्त राशि वाटरशेड कमेटी को चैक द्वारा विमुक्त करेगी। मांग पत्र पर परियोजना अधिकारी के प्रमाणीकरण के बिना किसी भी वाटरशेड कमेटी को किसी भी स्थिति में कोई धनराशि विमुक्त नहीं की जावेगी। चैक प्राप्त होने पर वाटरशेड कमेटी इसे परियोजना खाते में जमा करवायेगी तथा कैश बुक व परियोजना खाता रजिस्टर में यथा स्थान इसका विवरण अंकित करेगी।

6.3.1 जिला पंचायत द्वारा वाटरशेड कमेटी को विमुक्त की जाने वाली समस्त धनराशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खोले गये ''परियोजना खाता'' में जमा की जाती है। परियोजना खाता परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड तथा वाटरशेड कमेटी के अध्यक्ष और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जाता है। यह खाता यथा संभव बचत खाता होना चाहिये। इस खाते से किसी भी तरह की राशि का आहरण तीनों खाता धारकों के संयुक्त हस्ताक्षर से ही किया जा सकेगी। विभिन्न कार्यों एवं प्रयोजनों हेतु इस खाते से निकाली

जाने वाली राशि के संबंध में आवश्यक विवरण केश बुक, परियोजना खाता रजिस्टर, परियोजना खाता – चैक रजिस्टर में अंकित किया जावेगा।

6.3.2 राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत उपयोगकर्ता दलों हेतु चयनित गतिविधियों/कार्यों के संपादन हेतु योगदान राशि एकत्र करने का प्रावधान किया गया है। इस योगदान राशि को एकत्र करने का मुख्य उद्देश्य किये जाने उपचार कार्यों से जनित परिसम्पत्तियों व संरचनाओं के प्रति ग्रामीणों में अपनत्व जागृत करना हे। इसके अतिरिक्त इस योगदान राशि का उद्देश्य परियोजना अवधि के उपरांत वाटरशेड कमेटी स्तर पर इस तरह का धन स्त्रोत उपलब्ध कराना है ताकि बिना किसी सरकारी सहयोग के उपचार कार्यों के फलस्वरूप बनाई गई परिसम्पत्तियों का रख रखाव किया जा सके।

6.3.3 सामान्य श्रेणी के ग्रामीणों के उपयोगकर्ता दलों के लिये निजी भूमि पर प्रस्तावित निजी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन गतिविधि/कार्य हेतु इसकी कुल लागत की 10 प्रतिशत राशि योगदान के रूप में एकत्रित की जावेगी। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के ग्रामीणों के लिये निजी भूमि पर प्रस्तावित निजी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन गतिविधि/कार्य हेतु इसकी कुल लागत की 5 प्रतिशत राशि योगदान के रूप में एकत्रित की जावेगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई सामुदायिक जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन गतिविधि/कार्य सामुदायिक तथा शासकीय भूमि पर प्रस्तावित किया जाता है तो संबंधित उपयोगकर्ता दल के सदस्यों से लागत की 5 प्रतिशत राशि योगदान के रूप में एकत्रित की जावेगी।

6.3.4 ग्रामीणों से प्राप्त होने वाली योगदान राशि तथा अन्य किसी रूप में प्राप्त होने वाले अनुदान व आय को सुरक्षित रखने के लिये वाटरशेड कमेटी द्वारा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में एक पृथक खाता खोला जाता है जो विकास खाता कहलाता है। विकास खाता वाटरशेड कमेटी के अध्यक्ष तथा पचांयत के नामजद प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जावेगा। परियोजना अवधि के दौरान विकास खाता यथा संभव सावधि जमा के रूप में रखा जाना चाहिये। परियोजना अवधि के दौरान विकास खाते से कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकेगी। परियोजना अवधि की समाप्ति पर विकास खाते में जमा राशि को आरक्षित कोष घोषित किया जावेगा तथा प्रति छमाही प्राप्त होने वाले ब्याज से संरचनाओं तथा परिसम्पत्तियों के रख रखाव पर व्यय किया जा सकेगा। यह व्यय ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्य के संपादन हेतु ही किया जावेगा। विकास खाते में जमा होने वाली अथवा निकाली जाने वाली राशि के संबंध में आवश्यक विवरण, कैश बुक, विकास खाता रजिस्टर, विकास खाता – चैक रजिस्टर में अंकित किया जावेगा।